न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दूदू

बइजलास :– गोपाल परिहार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 03/2025 विविध प्रार्थना पत्र

आम जनता जेवल्या का बास बनाम साहिल व अन्य

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी

उपस्थित :–

1. श्री भैरूलाल शर्मा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की और से।

निर्णय दिनांक :– 03.09.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की तरफ से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 एवं सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी ने दिनांक 25.0202022 को प्रार्थना पत्र 14(4) बाबत भूमि आवंटन नियम 1970 प्रस्तुत किया गया जिसमें तलबी हेतु नियत था। जिसमें दिनांक 12.03.2025 को अधिवक्ता दिगर न्यायालय में व्यस्त रहने के कारण एवं प्रार्थीगण काश्तकारी कार्य में व्यस्त होने के कारण वरवक्त आवाज तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं हो सके। इसलिये माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया है। उक्त शिकायत आम जनता ग्राम जेवल्या का बास प्रतिनिधि की हैसियत से प्रस्तुत की गयी है। जिसमें राज्य सरकार का हित निहीत है। चुंकी ख0नं0 1096 रकबा 07 बीघा 19 बिस्वा, ख0नं0 1043/2 रकबा 6 बीघा 07 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 14 बिघा 06 बिस्वा ग्राम बिचून जिसके हाल ख0नं0 88 रकबा 1.51 है0, ख0नं0 173 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 174 रकबा 2.00 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 3.52 है0 ग्राम जेवल्या का बास के संदर्भ में शिकायत प्रस्तुत की गयी थी। जो कि जगन्नाथ के हक में दिनांक 04.06.1997 को आवंटन ही नहीं किया गया था। तत्पश्चात् भी राजस्व रिकॉर्ड में जगन्नाथ पुत्र बिंजा जाट के हक में नुमाईशी इन्द्राज कर दिया गया। जो की उक्त भूमि आवंटन नियम के विपरीत दर्ज होने से एवं राज्य सरकार के आम रास्ते की भूमि थी। जिसमें आम जनता का हित निहीत था। दिनांक 12.03.2025 को प्रार्थी की गैरहाजरी इरादतन नहीं होकर उपरोक्त कारणवश हुयी है जो की काबिले क्षमा है। आदेश दिनांक 12.03.2025 के बहाल रहने से प्रार्थी न्याय से वंचित हो जायेगा। प्रकरण में प्रार्थी के पास महत्वपूर्ण दस्तावेजात है जो कि प्रकरण के निर्धारण हेतु एवं पक्षकारों को अंतिम न्याय निर्णयन हेतु दिनांक 12.03.2025 मंसुख फरमाया जाकर सुनवायी किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 एवं सपठित धारा 151 स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की निगरानी संख्या 01/2022 को पुनः नम्बर पर लिया जाकर सुनवाई किये जाने के आदेश प्रदान किया जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थीगण की रजिस्टर्ड डाक से तलबी जारी की गई। जिसपर लेने से इन्कार किया की रिपोर्ट के साथ मूल ही डाक लिफाफे प्राप्त हुये। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 के विरूद्ध एकरतफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी. पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है। कोर्ट, कचहरी में कम समझता है। इसलिए प्रार्थना पत्र पेश करने के बाद अधिवक्ता से सम्पर्क नही कर सका इसलिए नियत तारीख पेशी पर उपस्थित नही हो सका। मान्य न्यायालय ने प्रकरण को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया है। कानूनन तकनीकी आधार पर किसी व्यक्ति को न्याय से वंचित नही किया जा सकता है। नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना विधि सम्मत है। पक्षकारान को अपना हक रखने से वंचित नही किया जा सकता है।

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन करने पर पाया कि न्यायालय द्वारा दिनांक 19.03.2025 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 14 (4) अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र 14 (4) को पुनः नम्बर पर लिये जाने का निवेदन किया है। प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के अनुसार प्रकरण के हितवद्व पक्षकारो को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाना चाहिए, तकनीकी आधार पर किसी व्यक्ति को न्याय से वंचित किया जाना उचित नही है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 14 (4) स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 9 नियम 9 एवं सपठित धारा 151 स्वीकार किया जाकर प्रकरण संख्या 01/2022 बउनवानी आम जनता जेवल्या का वास बनाम साहिल व अन्य पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है।

. आदेश आज दिनांक 03.9.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(गोपाल परिहार)
अति0 जिला कलक्टर
दूदू

Scanned with OKEN Scanner